भारत एवं जापान की प्राथमिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ.सुनिल दत्त
संस्कृत व्याख्याता,
श्री महावीर विद्यामंदिर ट्रस्ट
बी.एड. कॉलेज, प्रमुखपार्क, बाटलीबोय,
पांडेसरा, उधना-नवसारी रोड, सुरत.

१. प्रस्तावना

जापान एशिया का वह देश है जिसने पाश्चात्य राष्ट्रों से बहुत अधिक ग्रहण किया है। जापान में शिक्षा धार्मिक प्रभाव से प्रारंभ हुई। शुरू से यह परिवार तक ही सीमित थी और सामन्यतः धार्मिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक थी। विद्यालयो की स्थापना चीन के प्रभाव से शुरू हुई। अन्य देशों की तरह शिक्षा केवल कुलीन वंश के बालकों को ही सुलभ थी। सन् १८२८ में एक ऐसा विद्यालय खोला गया, जिसमें छात्रों का प्रवेश बिना किसी वर्ग-भेदभाव से होता था। धार्मिक प्रभाव एवं सामन्तवर्ग के सहयोग से शिक्षा का प्रसार हुआ भी परन्तु सतरहवी शताब्दी तक शिक्षा सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकी।

२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् १८७२ में जापान में एक नई शिक्षा सहिता तैयार की गई तथा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किये गये। शिक्षा व्यवस्था का जो कार्यक्रम बनाया गया उसके अनुसार विश्वविद्यालयों, निजी विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुए, जिनमें किंडर गार्डन सामान्य प्राथमिक विद्यालय आदि थे। तदन्तर १८७९ में एक नई शिक्षा-संहिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा में परिवर्तन किये गये। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आगे की शिक्षा के लिये तैयार करने के स्थान पर दैनन्दिन जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जापान की शिक्षा पर पडा। परन्तु सन् १९२३ के भयंकर भूचाल एवं अग्निकांड ने योकोहोमा एवं टोकयो में अत्यन्त विनाशकारी द्रश्य उपस्थित कर दिया जिसका जापान की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पडा। सभी दस्तावेज नष्ट हो गये। अतः जापान में शिक्षा व्यवस्था या विकास को बहुत बडा धक्का पहुंचा। तदन्तर द्वितीय विश्व युद्ध न जापान में व्यापक विनाश का द्रश्य उपस्थित कर दिया। अन्य बातों के साथ-साथ वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था भी पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो गई जिसे पुनः व्यवस्थित करना अत्यन्त कठिन कार्य था। परन्तु जापानवासियों ने निराश होना नही सीखा है। इसलिये वे अतिशीघ्र पुननिर्माण के कार्य में जुट गये। इस कार्य में उन्हें अमेरिकी शिक्षाविदों ने सहायता दी।

३. जापान में शिक्षा

अमेरिकी शिक्षाविदों की सहायता से जापान में शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त सन् १९४६ में लागू किये गये। सन १९४७ में नवीन शिक्षा कानून बनाया गया। जिसके मूल नियम "फण्डामेंटल लॉ एज्यूकेशन, १९४७" में सम्मिलित हैं। जापान में संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है व साथ ही ऐसा उनका कर्तव्य भी है। यह प्रावधान इस प्रकार है कि "नागरिकों को समान शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा सरकार के माध्यम से दी जाय। तथा लोगों का दायित्व होगा कि वे लडके लडकियों को शिक्षा प्राप्त हेतु विद्यालय भेजे।"

जापान में राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन एवं वित्तीय व्यवस्था का उत्तर दायित्व शिक्षा मन्त्रालय पर है। शिक्षा मन्त्रालय का एक सचिवालय पांच ब्योरो और अट्ठारह परामर्श-परिषदें हैं, जिनमें से केन्द्रीय परिषद् सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विश्व विद्यालय स्तर की शिक्षा का पूर्ण आर्थिक दायित्व राष्ट्रीय कोष पर है। विद्यालय स्तर की शिक्षा का आर्थिक व्यव राष्ट्रीय कोष, प्रीफेक्चर्स एवं शैक्षिक परिषदों की आर्थिक सहायता एवं शिक्षण-शुल्क से चलता है। जापान म शैक्षिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई स्थानीय अधिकरण है। ये पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक एवं पूर्व-माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। इन्हें शिक्षा मन्त्रालय एवं प्रीफेक्चर्स दोनों से वित्तीय सहायता मिलती है। जापान

में शिक्षा के मूल राष्ट्रीय उद्देदेश्यों और सिद्धान्त का प्रतिपादन "द फण्डामेण्टल लॉ आफ एज्यूकेशन" के अन्तर्गत किया है जो कि संविधान की आत्मा के अनुकूल है ये उद्देश्य एवं सिद्धान्त इस प्रकार है–

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों का पालन–पोषण करना ऐसे व्यक्ति जो दिमाग एवं शरीर से स्वस्थ हो, जो कि सत्यता और न्याय से प्रेम करते हों, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का पता हो, जो श्रम का सम्मान करत हों और जिनमें उत्तरदायित्व की गहरी भावना हो और जो पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो एवं शान्तिप्रिय राज्यों और समाज का निर्माण कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस कानून में शिक्षा के राष्ट्रीय सिद्धान्त बताए गए है जो निम्न प्रकार से है–

१. शिक्षा के समान अवसर
२. नौ वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा
३. सह शिक्षा अर्थात् बालक बालिकाओं की एक साथ शिक्षा व्यवस्था।
४. विभेद करनेवाली राजनैतिक शिक्षा पर रोक।

जापान में शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था में एक पूर्ण रूप से पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है जो कि शिक्षा में सुधार के विचारों पर आधारित है एवं साथ ही इसका उद्देश्य सोचने के तरीके में बदलाव लाना है जिसका सीधा सम्बन्ध औपचारिक विद्यालयों में उपस्थिति पर जोर के साथ–साथ जीवन भर चलनेवाले अधिगम को बढावा देना है। १९८४ से १९८७ के बीच राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर गहन विचार विमर्श के बाद जापान के प्रधानमंत्री को चार रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन आवेदन पत्रों में शिक्षा में सुधार के लिए कई अनुशंसाए की गई, जो इस प्रकार है–

१. प्रत्येक व्यक्ति पर जोर– व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा।
२. जीवन पर्यन्त सीखनेवाले समाज की तरफ परिवर्तन।
३. अन्तराष्ट्रीयकरण व आधुनिक सूचना तन्त्र व दूरसंचार के साधनों के विस्तार से उत्पन्न परिवर्तनों के अनुसार चलनेवाली शिक्षा।
४. व्यक्तिकता पर जोर–जिसका अर्थ है,
    १. व्यक्ति के सम्मान का सिद्धान्त
    २. व्यक्तित्व, स्वतन्त्रता और आत्मानुशासन का सम्मान।
    ३. सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि जापान की शैक्षिक व्यवस्था में जो कुछ ऋणात्मक तत्व मौजूद थे उनको हटाया जाय और साथ ही य प्रयत्न किया जाय कि बच्चों की सृजनात्मकता सोचने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता को बढावा मिले और रटने की प्रवृत्ति को घटाया जा सके।
    ४. जीवन भर चलनेवाली शिक्षा में समयानुसार परिवर्तन।

४. जापान में प्राथमिक शिक्षा

जापान में प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ सन् १८७२ में हुआ था। अधिकांश निर्धन छात्र सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्थ जाते थे, अतः पृथक प्राथमिक विद्यालय स्थापित न हो सके। ग्राम्य प्राथमिक विद्यालय केवल प्रौढों क लिए थे और प्रायः सायंकाल चलते थे। प्राथमिक शिक्षा छह वर्ष से तरह वर्ष तक चलती थी।

४.१ प्राथमिक विद्यालय

प्राथमिक शिक्षा स्तर के वे विद्यालय होते है जो ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा देते है। १९३७ ई. में इनकी संख्या २०,९२९ थी परन्तु १९९४ में इनकी संख्या ७०,००० के लगभग हो गयी था। अध्यापकों की संख्या ३,००,७५० से ८,३९,००० के लगभग पहुँच गई। इन विद्यालयों में स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा के विकासार्थ स्वास्थय समिति एवं शारीरिक शिक्षा समिति निर्मित की गई और खेलकूद आदि के उपकरणों की व्यवस्था क साथ स्वास्थय सेविकाएँ नियुक्त की गई। सामान्य शिक्षा के निर्देश पत्रों के साथ स्वास्थय और शारीरिक शिक्षा के निदेश पत्र भेजे गये। सी.आई,एण्ड, ई. नामक शिक्षा मन्त्रालय की संस्था के प्रयास से ही प्रारम्भव में उपर्युक्त व्यवस्था चली और विद्यालयों में जलपान तथा दुग्ध–वितरण की योजनाएं संचालित हुई। युद्ध ने इन योजनाओं में अवरोध उत्पन्न

किया। लेकिन अभिभावकों ने स्थानीय संस्थाओं ने इसे निरन्तर बनाए रखा। क्षय रोग का निवारण करने के उपाय के प्रयास किये गये। शिक्षकों में स्वतन्त्र एवं मुक्त शिक्षा की प्रवृत्ति हस्त-पुस्तिकाओं तथा निर्देश पत्रों की सहायता से उत्पन्न की गई।

४.२ प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा स्तर के वे विद्यालय होते है जिनमें विद्यालयीय पाठ्यक्रमों के रूप में जापानी भाषा, सामाजिक ज्ञान, गणित, प्रकृति निरीक्षण, स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा के विषय रखे जाते है। फूलों की सजावट, त्यौहार, उत्सव, चाय-उत्सव आदि को सांस्कृतिक विकास का माध्यम माना जाता हैं। बौद्धिक शारीरिक एवं नैतिक विकास पर पूर्ण बल दिया जाता है। स्थानीय परिषदों के स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा के विकास के उपयुकत विविध कार्यक्रम तथा उनकी योजनाएं प्रशंसनीय मानी गई, भले ही इन व्यवस्थाओं में चिकित्सकों, उपकरणों तथा स्वास्थय सेविकाओं का अभाव रहा हो। जापानी भाषा एवं गणित की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती थी। कक्षा में बालकों की अधिकतम संख्या पचास निर्धारित है।

४.३ पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशन

शिक्षा मन्त्रालय पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन सम्बन्धी उत्तरदायित्व अपने उपर लेता है। पुरातन पुस्तकों को अनुपयुक्त बताते हुए नवीन आकर्षक पुस्तकों के पकाशन पर बल दिया गया है। गणित और जापानी भाषा की पुस्तकें नए विद्यार्थियों को बिना मूल्य लिये राज्य से मिलती है मन्त्रालय उन सभी सभी पुस्तकों को बिना मूल्य दिये वितरित करना चाहता है जो अनिवार्य शिक्षा क विविध वर्गो में लगी हुई है।

४.४ आन्तरिक पशासन

विद्यालयो की अन्तर्व्यवस्था के संचालनार्थ अध्यापकों और प्रधानाध्यापक में सहयोग की भावना का वातावरण बनाया गया है। इसी प्रकार छात्र और अध्यापकों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के प्रयास हुए है। जापान में शिक्षक छात्रों के लिए मार्गदर्शक, परामर्श दाता और उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का प्रस्तुतकर्ता होता है जो उनके कार्य का निरीक्षण करते हुए ऐसे आयोजन करता है जिससे छात्रों में स्वास्थय, नैतिकता और शारीरिक सामर्थ्य उत्पन्न हो सके। इस प्रकार जापान में शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों से ओत-प्रोत नागरिकों को तैयार करना है। यद्यपि यह पुनर्व्यवस्था योजना सभी विद्यालयों में प्रचलित नहीं हो सकी है, फिर भी स्थानीय परिषदें इस पुनव्यर्वस्था को स्वीकार कर रही है।

४.५ समय विभाग चक्र

प्राथमिक शिक्षा के प्रथम वर्ष में सप्ताह के चौबीस घण्टे का कार्यक्रम चलता है। इसमें से सात घण्टे जापानी भाषा, तीन घण्टे तक अंकगणित, संगीत, ललितकला, हस्तकला एवं शारीरिक शिक्षा, दो-दो घण्टे विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन तथा एक घण्टा नैतिक शिक्षा के लिए निर्धारित गणित, विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान को दिया जाता है।

४.५.१ भारत में प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा देश की शिक्षा प्रणाली की आधार शिला है। प्राथमिक शिक्षा जितनी व्यवस्थित एवं सुद्रढ होगी, देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था उतनी ही उन्नतिशील एवं व्यापक होगी प्राथमिक शिक्षा की महत्ता सभी देशों ने स्वीकार की गई है और सभी प्रगतिशील देशों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है। हमारे देश में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया कि जिसका संविधान ४५ वीं धारा में उल्लेख है,

"राज्य इस संविधान के क्रियान्वित किये जाने के समय से इस वर्ष के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।" शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सर्वप्रथम सुझााव बैप्टिस मिशनरी विलियन एडम्स ने सन् १८५८ में दिया था। अन्य प्रयास और भी किये बाद में सन् १८८४ में बडोदा नरेश ने वार्षिक रिपोर्ट मं इस शिक्षा का सुझााव रख कर १८९२ में अमरेली नगर में एक ताल्लुके में ९ ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। १९१७ में विट्ठल भाई पटेल ने बम्बई में प्राथमिक शिक्षा को

अनिवार्य बनाया। १९३७ में ११ प्रान्तों में से ७ प्रान्तों में कोंग्रेस की सरकारे स्थापित हुई तथा शिक्षा के विकास को गति मिली। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण प्रगति में बाधा पडी। १९३७ में गांधीजी ने बुनियादी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की। सन् १९४४ म सरकार ने 'युद्धोत्तर-शिक्षा-पुननिर्माण योजना' प्रस्तुत की, जिसे सार्जेन्ट योजना कहते है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय इस देश के लगभग २२२ नगरों और १००१० गाँवों में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रारम्भ हुआ तब से पचार-प्रसार हो रहे हैं।

भारत में संविधानतः प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया है, परन्तु अभी तक अच्छी तरह इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। फलतः अनेक बच्चों ने अभी भी शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ नहीं किया है। वस्तुतः शिक्षा के प्रति इस उदासीनता के लिए देश में व्याप्त निरक्षरता तथा माता-पिता में सहानुभूति का अभाव रहा है। अनेक निरक्षर माता-पिता अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक नहीं समझाते। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन शिक्षा के प्रसार में भारी विघ्न उपस्थित करते है।

अपव्यय का अर्थ है बालक का शिक्षा पूरी किये बिना ही पढना छोड देना। जिसके प्रमुख कारण शिक्षा प्रणाली का अभाव, अशिक्षित अभिभावक, अनुपयुक्त प्रशासन, दूषित पाठ्यक्रम और सामाजिक बुरीइर्यां आदि है जिनके निराकरण के उपाय-पाठ्यक्रम में संशोधन, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, अभिभावकों की शिक्षा प्रशासन में सुधार, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, यातायात व्यवस्था में सुधार, आर्थिक दशा में सुधार जिनसे अपव्यव को रोका जा सकता है। अवरोध का अर्थ है एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रूकना अवरोधन कहलाता है जिसके प्रमुख कारण पाठ्यक्रम का भारी और अरूचिकार होना, प्रवेश नियमों की अनिश्चितता, वातावरण की अनुपयुक्तता, शारीरिक दुर्बलता, दूषित परीक्षा पद्धति आदि है। इनके निराकरण के लिए यदि पाठ्यक्रम में सुधार, निश्चित प्रवेश नीति, वातावरण में सुधार, स्वास्थय-विकास, शिक्षण पद्धति में सुधार, बाल विवाह आदि पर रोक, परीक्षा-पद्धति में सुधार आदि नियमों की अनुपालना की जाय तो अवरोधन को रोका जा सकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के लगभग ९५ प्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजन का उद्देश्य रखा गया है। अनुमान है कि निर्धनता के कारण हमारे देश में ७० प्रतिशत शिक्षा में अपव्यय होता है।

५. प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य

भारत में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को योग्य नागरिक बनाना है। इसलिए इस स्तर के बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान देने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। बालक को उद्योग शिक्षा देना जिससे बालक बेरोजगार न रहे। जिससे अनुभव तथा करके सीखने स बालक को व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती रहे। शिक्षा का उद्देश्य एक स्वछन्द व रचनात्मक आत्मक्रिया के द्वारा बालक की अधिकतम अभिवृद्धि और विकास समझाा जाता है, इसलिए विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, अपनी रूचि के अनुसार कार्य को नियोजित करने तथा अपनी ही गति के अनुसार आगे बढने की पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलती है। बेसिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है।

६. प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय

भारत में प्राथमिक शिक्षा ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए मानी जाती है। यह शिक्षा पाँच वर्षीय होती है। हमारे यहाँ प्रायः दो प्रकार के प्राथमिक स्कूल मिलते है-

१. सामान्य स्कूल जहाँ शिल्पकला का शिक्षण नहीं होता।
२. बैसिक स्कूल जिसमें शिल्प के माध्यम से शिक्षण की प्रधानता होती है।

सामान्यतः सभी प्राथमिक स्कूल बेसिक स्कूल के स्वरूप में परिवर्तित हो गये है, परन्तु अभी प्रत्येक शहरी क्षेत्र में बहुत ऐसे प्राथमिक स्कूल पाये जाते है जो बेसिक स्कूल से कुछ भिन्न पाठ्यक्रम चलाते है। कोठारी कमीशन ने बेसिक शिक्षा को सात वर्षीय बनाने का सुझाव दिया है। इस सात वर्षीय प्राथमिक स्कूल में प्रथम चार कक्षायें उच्च प्राथमिक मानी जाती है। निम्न स्तर पर ६ से १० वर्ष तक उच्च स्तर पर १० स १३ वर्ष के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। अभी तक

ऐसा कार्यक्रम लागू नहीं किया जा सका है। प्राथमिक शिक्षा का यह स्वरूप अमेरिकी प्राथमिक स्कूलों के समान प्रतीत होता है।

७. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एकाकी एव संकीर्ण है क्योंकि सारा पाठ्यक्रम किताबी एवं सैद्धान्तिक है। पाठ्यक्रम के सुधार हेतु बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया। भारत सरकारने १९४७ में इस हेतु एक समिति की रचना की। तत्पश्चात् १९५८ में 'ए हैण्ड बुक फार टीचर्स ऑफ बैसिक स्कूल्स' नामक पुस्तिका में एक स्थायी पाठ्यक्रम का रूप दिया। जो बालक का सर्वांगीण विकास करेगा। जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है,

१. शिल्प-कताई-बुनाई, लकडी का काम, कृषि व उद्यान कला, लडकियों के लिए हस्त-शिल्प।
२. मातृभाषा
३. गणित
४. सामाजिक अध्ययन
५. सामान्य विज्ञान
६. कला ड्राइंग तथा संगीत आदि
७. खेलकूद और व्यायाम
८. हिन्दी जहाँ यह मातृभाषा नहीं है।

गांधीजी ने बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अंग्रेजी को छोडकर हाईस्कूल के समकक्ष होगा। कोठारी शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विकास के लिए कुछ सुझााव दिये है- अपर प्राथमिक स्तर पर बालक को अधिगम के आधारभूत उपकरणों जैसे लिखना, पढना, गणना एवं स्वयं को वातावरण में समायोजित करने के लिए आरंभिक भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। अवर प्राथमिक कक्षा १ से ४ के पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है,

१. एक भाषा- मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
२. गणित
३. वातावरण का अध्ययन
४. सृजनात्मक क्रियाएं
५. समाज सेवा

उच्च प्राथमिक स्तर (५ से कक्षा ८ तक) के विषय

१. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
२. हिन्दी या अंग्रेजी
३. गणित
४. विज्ञान
६. कला
७. कार्यानुभव
८. शारीरिक शिक्षा
९. नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

८. प्राथमिक शिक्षा की शिक्षण विधि

बेसिक शिक्षा के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ हो जाता है बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ७ क्रमिक कक्षाओं मे विभक्त किया गया है। प्रथम कक्षा में बालक मातृभाषा का मौखिक ज्ञान, फिर पढना और फिर लिखने के साथ ही साथ कुछ बुनियादी हस्तकला सीखता है। ज्यों-ज्यों विद्यार्थी आगे की कक्षाओं में जाता है, बुनियादी क्राफट की सहायता से गणित, सामाजिक विषय तथा कला इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार ७ वर्ष की शिक्षा के उपरान्त विद्यार्थी उस क्राफट की पूर्ण जानकारी करके, उसे अपनी जीविकोपार्जन का साधन बना सकता है। जिन विषयों को छात्र कोरा पाठ पढने से महीनों तक नहीं सीख पाते, उन्हें बेसिक शिक्षा द्वारा हाथ स कार्य करते हुए खेल-कूद में सीखे लेते है।

९. उपसंहार

जापान और भारत की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करने के अनन्तर हम यह कह सकते है कि दोनों ही देशों में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी तथा दोनों ही देशो ने कछ उद्देश्य निर्धारित किये जैसे भारत में शिक्षा का मूल

उद्देश्य बालक को योग्य नागरिक बनाना है जबकि जापान में शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यकितत्व का विकास करना है। जापान में सह शिक्षा तथा नौ वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था है प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धन छात्र सामान्य प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन हेतु जाते है, अन्य बालक नहीं जाते है। यह प्राथमिक शिक्षा ६ से १३ वर्ष चलती है। पाठ्यक्रम के रूप में जापानी शिक्षा के साथ सामाजिक, गणित प्रकृति, स्वास्थय सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। तथा पाठ्यपुस्तके निःशुल्क वितरित की जाती है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य उद्योग शिक्षा देना जिससे छात्र बेरोजगार न रहे। जापान के विपरीत भारत में प्राथमिक स्कूल दो तरह के होते है, प्रथम सामान्य स्कूल जहाँ शिल्प कला का ज्ञान नहीं दिया जाता जिसे निम्न स्तर माना जाता है जहाँ ६ से १० वर्ष की आयुवाले बच्चे शिक्षा ग्रहण करते है। द्वितोय बेसिक स्कूल जहाँ शिल्प कला के माध्यम से शिक्षा दा जाती है जिसे उच्च स्तर कहते है जहाँ १० से १३ वर्ष के बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। भारत का पाठ्यक्रम जापान की तरह व्यापक नहीं है। अपितु एकांगी अर्थात् किताबी और सैद्धान्तिक है। १९४२ के पश्चात् कोठारी आयोग ने पाथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था का सुचारू निरूपण किया है। बेसिक अर्थात् अनिवार्य शिक्षा द्वारा छात्र को विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ हो जाता है तथा हाथ से करते हुए, खेलकूद में छात्र सीख लेते है। इस प्रकार जापान तथा भारत में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था छात्रों के हितार्थ तथा उनके सर्वांगीण विकास में तत्पर है।

सन्दर्भसूची

१. तुलनात्मक अध्ययन - सरयू प्रसाद चौबे
२. तुलनात्मक अध्ययन - एस. के. अग्रवाल
३. तुलनात्मक अध्ययन - श्यामलाल कौशिक